भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 656
जिसका उत्तर मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान

656. श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान के तहत अलग से रखे गए ₹14000 करोड़ की कायिक निधि के संबंध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): देश मे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से, भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) का अनुमोदन किया और तत्पश्चात् 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी 2020) का शुभारंभ किया। इस प्लान को मुख्यतः देश में ईंधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। एनईएमएमपी का उद्देश्य लगभग 9500 मिलियन लीटर के बराबर ईंधन की संचयी बचत करना है जिससे वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन वाहन बाजार में उतारने के लक्ष्य के साथ प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2 मिलियन टन की कमी लाई जा सके। इस प्लान में स्कीम की अवधि के दौरान लगभग ₹14,000 करोड़ के संचयी परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कुछ अंशदान उद्योग की तरफ से रहेगा।

मिशन के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च, 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। सरकार ने एनईएमएमपी में की गई परिकल्पना के अनुसार, ₹14000 करोड़ की सहायता से 6 वर्ष के लिए स्कीम की बजाय ₹795 करोड़ की परिव्यय के साथ एक प्रायोगिक स्कीम के रूप में 2 वर्षों की स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है। वर्तमान में, स्कीम का चरण-I कार्यान्वयनाधीन है, जो मूलतः 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए था और अब इसे 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

******